UPKN010065172026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2219/2026

मोहम्मद मेराज उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र अनवर अली निवासी कौशाम्बी, उ0प्र0।

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

मु0अ0सं0–32/2026
धारा–318(4),351(2),61(2) बी0एन0एस0
एवं 66(डी) आई0टी0एक्ट
थाना–साइबर क्राइम, कानपुर–नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2220/2026

(CNR No UPKN01 006520-2026)

प्रशान्त गुप्ता उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 117/833 पी. ब्लाक काकादेव, थाना काकादेव, कानपुर नगर।

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

मु0अ0सं0–32/2026
धारा–318(4),351(2),61(2) बी0एन0एस0
एवं 66(डी) आई0टी0एक्ट
थाना–साइबर क्राइम, कानपुर–नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2221/2026

(CNR No UPKN01 006518-2026)

आकाश सरोज उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र राजेन्द्र सरोज निवासी 117/220 पी. ब्लाक काकादेव, थाना काकादेव, कानपुर नगर।

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

मु0अ0सं0–32/2026
धारा–318(4),351(2),61(2) बी0एन0एस0
एवं 66(डी) आई0टी0एक्ट
थाना–साइबर क्राइम, कानपुर–नगर।

06.06.2026

1. प्रस्तुत उपरोक्त जमानत का प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण मोहम्मद मेराज, प्रशान्त गुप्ता एवं आकाश सरोज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–32/2026, धारा–318(4),351(2),61(2) बी0एन0एस0 एवं 66(डी)

आई0टी0एक्ट, थाना–साइबर क्राइम, जिला कानपुर नगर में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पृथक–पृथक संस्थित किये गये हैं।

2. उपरोक्त समस्त जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या, धारा व थाना से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा वरून सोनकर द्वारा तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वादी की उसके साथ पढ़ने वाले साहिल यादव से जान पहचान थी। उसने वादी को बताया कि वह कुछ ऑनलाइन काम करेगा जिसमें उसके मोबाइल नम्बर, ए0टी0एम0 कार्ड की व नये मोबाइल नम्बर की जरूरत पडेगी। काम होने के बाद कुछ पैसे भी मिलेगें जिसमें से कुछ रूपये वह वादी को भी दे देगा। इस बात पर वह तैयार हो गया और अपना मोबाइल नम्बर 9335479248 का सिम कार्ड व अपने इण्डियन बैंक खात नं0–7047918540 का ए0टी0एम0 कार्ड और अपनी आई0डी0 पर सिम निकाल कर उसे दे दिया था जिसके बाद उसने नया सिम वादी के फोन में डलवा लिया, बैंक खाते में लगा नम्बर अपने पास रख लिया जिसकी काल फारवर्डिग उसने वादी के नये नम्बर पर कर दी थी। उसके बाद साहिल अपने दोस्तों शुभम ठाकुर, प्रशान्त गुप्ता, आकाश, मेराज के साथ वादी के पास आया तो वादी का ए0टी0एम0 व सिम उसे वापस कर दिया परन्तु पैसे नहीं दिए। जब वादी ने पैसे के लिए कहा तो उसने कहा एक–दो दिन में मिल जायेगें। उसके बाद वादी ने अपना सिम कार्ड अपने मोबाइल में लगाया तो उसे एकाउंट फ्रीज होने का मैसेज मिला। जब उसने बैंक में जाकर अपने खाते का स्टेटमेन्ट चेक किया तो उसमें 13,00,000/–रू0 के आसपास लेनदेन पाया। उसने इस बारे में साहिल से बताया तो उसने वादी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी इससे उसे पता चल गया कि साहिल ने अपने दोस्तों प्रशान्त गुप्ता, शुभम ठाकुर, आकाश व मेराज के साथ मिलकर उसके बैंक खाते में आनलाइन धोखाड़ी की है व रूपयों का लेन देन किया है।

4. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम, कानपुर नगर में मु0अ0सं0–32/2026, धारा–318(4), 351(2) बी0एन0एस0 एवं 66(डी) आई0टी0एक्ट, के अन्तर्गत साहिल यादव, शुभम ठाकुर, प्रशान्त गुप्ता, आकाश व मेराज के विरूद्ध दर्ज कर मामले में विवेचना की गयी।

5. फर्द बरागदगी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक सतीश यादव द्वारा हमराही कर्मचारियों के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 26.05.2026 को सी0ओ0डी0 पुल से करीब 200 मीटर पहले महिन्द्रा एक्स0यू0वी0 300 कार यू0पी078एचवाई 7697 सहित चार व्यक्तियों को पकड़ा गया। कार चालक ने अपना नाम साहिल यादव बताया जिसकी तलाशी पर एक अदद मोबाइल फोन आईफोन जिसका नम्बर 9214800275 बरामद हुआ तथा एक अदद कीपैड फोन, मु0 1300/–रू0 नकद बरामद हुआ तथा बताया कि वह व उसके दोस्त प्रशान्त गुप्ता, आकाश व मेराज मिलकर भोले भाले लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढाने का आफर देकर प्रशान्त द्वारा बनाई गयी फेक ई–कोमर्स वेबसाइड पर पेमेंट गेट वे जैसे पे0यू,नो–ब्रोकर, कैश फ्री आदि के लिंक उस फेक वेबसाइड पर अपलोड

कर देते है। दूसरें व्यक्ति ने अपना नाम आकाश सरोज बताया जिसके पास से एक अदद फोन आईफोन 14 प्रो जिसमें मो0नं0 8840983295 पड़ा हुआ है तथा 1350/—रू0 नकद बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम प्रशान्त गुप्ता बताया जिसके पास से एक अदद मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी जिसमें दो सिम कार्ड नं0 8953739447 व 9548940715 तथा 900 रूपये नकद बरामद हुए। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद मेराज बताया जिसके पास से एक अदद मोबाइल फोन कीपैड सैमसंग जिसमें नम्बर 7408070216 व 8948674681 है बरामद हुआ तथा एक फोन रियलमी व 750/—रू0 नकद बरामद हुए। प्रशान्त गुप्ता व आकाश गुप्ता के बीच में रखे बैग को चेक किया गया तो उसमें काफी मात्रा में पासबुक, चेकबुक,एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड मिले व एक छोटा काला बैग मिला जिसमें कुल 2,95,000/—रू0 बरामद हुए।

6. अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उन्हें कथित मुकदमें में झूँठा नामित किया गया है जबकि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है वे निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भी आनलाइन साइबर फ्राड करके किसी का भी रूपया अपने खाते में स्थानान्तरित कराया गया न ही अभियुक्तगण के खाते में किसी भी व्यक्ति का साइबर फ्राड करा हुआ रूपया हड़पा गया। सत्यता यह है कि कथित घटना में जनता के किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ साइबर फ्राड करके फर्जी रूपया हड़पने का कोई भी मुकदमा सम्पूर्ण भारत वर्ष में नहीं लिखाया गया न ही अभियुक्तगण ने आन लाइन फेक वेबसाइट बनाकर किसी भी कंपनी के नाम पर आनलाइन ट्रेडिंग कर किसी भी नामी गिरामी कंपनी के नाम से कोई सामान बेचने के नाम पर किसी भी व्यक्ति से कोई रूपया अपने खाते में अन्तरित कराया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित मुकदमें में थाने की पुलिस द्वारा मात्र गुडवर्क करने के उद्देश्य से अभियुक्तगण को एक फर्जी कहानी बनाकर नामित किया गया है। मुकदमें में जनता का कोई भी व्यक्ति जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अभियुक्तगण दिनांक 27.05.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। अभियुक्तगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें, अतः जमानत स्वीकार की जाये।

7. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का मोबाइल नम्बर, एटीएम कार्ड आदि लेकर नया सिम कार्ड लेकर धोखाधडी करके वादी मुकदमा के बैंक एकाउन्ट से 13,00,000/—रू0 का लेन देन किया गया। जब वादी मुकदमा द्वारा इसकी शिकायत अभियुक्तगण से की गयी तो वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण को पकडे जाने पर उनके पास से संयुक्त रूप से कई मोबाइल फोन, काफी मात्रा में पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड मिले व एक छोटा काला बैग

मिला जिसमें कुल 2,95,000/–रू0 बरामद हुए। अभियुक्तगण द्वारा साइबर फ्राड का कार्य किया जा रहा था। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है, अतः जमानत निरस्त की जाये।

8. मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
9. निर्णय विधि **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एस0सी0सी0 21** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर न्यायालय को विचार करना चाहिए–
    1. क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अथवा युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है।
    2. आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता।
    3. दोषसिद्धि की दशा मे दण्डादेश की कठोरता।
    4. जमानत प्रदान किये जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय।
    5. अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति।
    6. अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना।
    7. साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय।
    8. जमानत स्वीकार किये जाने की दशा मे न्यायहित समाप्त होने का भय।
    9. अपराधिक इतिहास।
10. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर मुख्य आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का मोबाइल नम्बर, एटीएम कार्ड आदि लेकर नया सिम कार्ड लेकर धोखाधडी करके वादी मुकदमा के बैंक एकाउन्ट से 13,00,000/–रू0 का लेन देन किया गया। जब वादी मुकदमा द्वारा इसकी शिकायत अभियुक्तगण से की गयी तो वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी।
11. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना अर्थात साहिल यादव द्वारा वादी मुकदमा को आनलाइन काम करने को कब कहा गया उसकी कोई तिथि अंकित नहीं की गयी है तथा वादी द्वारा मोबाइल सिम कार्ड व ए0टी0एम0 दिये जाने की भी कोई तिथि अंकित नहीं की गयी है। इसी प्रकार वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को दिये गये बयानों में भी किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।
12. अभी तक की विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कोई भी धनराशि अभियुक्तगण के बैंक एकाउन्ट में प्राप्त हुई हो। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में जनता के किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा अभियुक्तगण दिनांक 27.05.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।
13. मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किए जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

14. आवेदक/अभियुक्तगण मोहम्मद मेराज, प्रशान्त गुप्ता एवं आकाश सरोज के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल किये जाने पर उन्हे जमानत पर रिहा किया जाए।
15. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड पत्रावली मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।
16. आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software मे करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्तगण रिहा नहीं होते हैं तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्तगण आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होते हैं तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।
17. जमानत आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2220/2026 एवं 2221/2026 की पत्रावली में रखी जाये।

(सपना त्रिपाठी–I)
आई.डी. यू.पी.6103
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर नगर।

दिनांकः 06.06.2026
मनोज

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.06.06 16:27:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court